भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 79**

दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 को उत्‍तरार्थ

**पंचायतों के लिए आबादी का मानदंड**

79. श्री भूपिंदर सिंह :

क्‍यापंचायती राज मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

1. क्‍या राज्‍यों को इस बात के लिए सहायता देने का कोई प्रस्‍ताव है कि 2000 की आबादी के लिए एक ग्राम पंचायत हो और अनुसूचित खंड में तथा एमएडीए पॉंकेट में 1000 की आबादी के लिए एक ग्राम पंचायत हो ; और
2. यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण है ?

**उत्‍तर**

**पंचायती राज, राज्‍य मंत्री**

**(श्री निहाल चंद)**

1. जी नहीं।
2. संविधान के भाग IX के अनुच्‍छेद 243(ग) (1) के अनुसार, उन सभी राज्‍यों व संघ राज्‍य क्षेत्रों, जहां संविधान का भाग IX के प्रावधान लागू हैं, में उनके अपने-अपने पंचायती राज विधान हैं, जो अन्‍य बातों के साथ-साथ, पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा, परंतु ग्राम स्‍तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनंसख्‍या का ऐसी ग्राम पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्‍थानों (सीटों) की संख्‍या से अनुपात समस्‍त राज्‍य में यथासाध्‍य एक ही हो।

**\*\*\*\*\*\*\***